

कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज, जींद

टेली फोन : 01681-245430
ईमेल : gmhrjind1@gmail.com

अप्रेंटिसिप लगाने के लिए ऑनलाईन आवेदन 21.01.2022 से 28.01.2022 तक का विज्ञापन

अप्रेंटिसिप एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत महा प्रबंधक हरियाणा रोडवेज, जींद निम्नलिखित संकायों/ट्रेडों में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेने के लिए अप्रेंटिसिप लगाने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

Sr. No.	Apprentice Trade	Total Vacancy	Qualification	Monthly Stipend
1	Steno Typist Hindi	3	ITI Pass in concerned/ relevant trade.	Rs. 7700/-
2	COPA	3		Rs. 7700/-
3	Electrician	9		Rs. 8050/-
4	MMV	12		Rs. 8050/-
5	Mechanic Diesel	14		Rs. 7700/-
6	Welder (G & E)	3		Rs. 7700/-
7	Carpenter	5		Rs. 7700/-
8	Turner	1		Rs. 8050/-
9	Painter General	1		Rs. 8050/-
Total		51		

नोट :-

(ए) किसी आरक्षित श्रेणी के लिए कोई विशिष्ट रिक्ति आरक्षण की संबंधित श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ष की भर्ती में दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसी रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अगले वर्ष बैंक लॉग अनुसार प्रेषित नहीं की जाएगी।

(बी) अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग उम्मीदवार के लिए वन टाईम अपरचोनेटी है। अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 के अनुसार इसी/विभिन्न स्थापनाओं में पहले अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग पूरी कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया :-

- उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल अर्थात् www.apprenticeshipindia.org पर आवेदन करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- उपरोक्त वर्णित पोर्टल पर आवेदन करने के बाद उम्मीदवार को कार्यालय पता : महा प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद 126102 में स्वीड पोस्ट के माध्यम से या gmhrjind1@gmail.com पर एक पीडीएफ ईमेल करके सभी संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र (दसवीं की मार्क शीट, आईटीआई पास का मार्क शीट/प्रोफाइल, व मार्क शीट, जाति प्रमाण पत्र व हरियाणा डीएमसाईल (यदि लागू), आईडी प्रूफ आदि) और अप्रेंटिसिप प्रोफाइल भेजना अनिवार्य है।
- ऑनलाईन आवेदनों को 21.01.2022 व 28.01.2022 के बीच स्वीकार किया जाएगा एवं अपने दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 01.02.2022 है।
- दोनों ऑनलाईन (वेबपोर्टल पर प्रोफाइल पंजीकरण) और ऑफ लाईन (डुक के माध्यम से) आवेदन की मूल प्रति आगामी जांच के लिए एक आवेदक की उम्मीदवारी पर विचार करने हेतु अनिवार्य है। दोनों (ऑनलाईन व ऑफलाइन) आवेदन प्राप्त न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वतः अयोग्य हो जाएगी।
- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त/अपूर्ण आवेदन रद्द करने के योग्य हैं।

चयन प्रक्रिया :-

- जीएम एचआर जींद के चयन बोर्ड को आवेदन से गुजरना होगा और उम्मीदवार का चयन करना होगा (उपरोक्त प्रदर्शित रिक्ति अनुसार)।
- उम्मीदवार का चयन आईटीआई अंकों की मरिट के आधार पर किया जाएगा एवं प्राथमिकता नजदीकी क्षेत्र वाले को दी जाएगी। प्रशिक्षण शुरू करने की तिथि :- संपर्क अनुसार केवल ईमेल के माध्यम से चयनित उम्मीदवारा को सूचित की जाएगी।

सामान्य निर्देश :-

- उम्मीदवार को प्रोफाइल को आधार से सत्यापित होना चाहिए।
- उम्मीदवार का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि पोर्टल व दसवीं एवं आईटीआई की मार्कशीट पर समान होनी चाहिए।
- पोर्टल पर उम्मीदवार की प्रोफाइल में दसवीं और आईटीआई ट्रेड का विवरण अनिवार्य है।
- उम्मीदवार की भौतिक निर्युक्ति प्राचार्य, गव. आईटीआई जींद से सविदा स्वीकार होने के बाद दी जाएगी।
- अप्रेंटिसिप का प्रस्ताव हरियाणा रोडवेज में रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिसिप ट्रेनी की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और उम्मीदवार इसके लिए दावा नहीं कर सकता है।
- चयनित उम्मीदवार को जीएम एचआर जींद के कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
- अप्रेंटिसिप लेने वाले को आयु ऑनलाईन आवेदन के सामपन तिथि को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- अप्रेंटिसिप के लिए उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल अर्थात् www.apprenticeshipindia.org पर अपने नाम का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और केवल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार को समय-समय पर अपनी ईमेल की जांच करने और चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
- आरक्षण समय-समय पर संशोधित अनुसार अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 और अप्रेंटिसिप रूल 1992 के प्रावधान के अनुसार लागू किया जाएगा। एससी/बीसी/बीबीबी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल पर पंजीकरण के समय इसका विवरण देना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे जनरल में विचारा जाएगा। एससी/बीसी/बीबीबी में पंजीकृत उम्मीदवारों को भी नियुक्ति के समय इस प्रभाव से मूल प्रमाण पत्र लेकर आना होगा।
- उम्मीदवार द्वारा तथ्यों/दवावे पर चयन प्रक्रिया/प्रशिक्षण के किसी चरण में अयोग्यता को निर्देशित करेगा।
- अप्रेंटिसिप लेने वाले को ट्रेनिंग के समय इस स्थापना द्वारा कोई क्वार्टर/होस्टल आवास/परिवहन प्रदान नहीं किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवार को अप्रेंटिसिप एक्ट, 1961 के प्रावधान के अनुसार वजीफ का अधिकार है।
- महा प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद अप्रेंटिसिप के लिए रिक्तियों की पट्टाने/बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- अप्रेंटिसिप लेने वाले का प्रशिक्षण 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवार की निम्नलिखित अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना के बिना समाप्त कर दिया जाएगा।
- टीए/डीए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि चयन होता है।
- चयनित उम्मीदवार को अप्रेंटिसिप एक्ट, 1961 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के लिए सविदा पूरी करनी होगी।
- किसी उम्मीदवार के द्वारा और की ओर से चयन प्रक्रिया से प्रेरित इरादे से किसी प्रार्थना या व्यक्तिगत अनुसरण करने पर उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- कोई विवाद होने पर जीएम एचआर जींद प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।
- उम्मीदवार को कोविड-19 से संबंधित नियम एवं निर्देश का अनुपालन करना होगा।